परिपत्र संख्या-जी0एस0टी0/2022-23/नियम-86A/2223023 212 /राज्य कर

कार्यालय-कमिश्नर, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।
(जी0एस0टी0 अनुभाग)
लखनऊ: दिनांक- 11 जुलाई, 2022

समस्त
अपर आयुक्त ग्रेड-1/अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0),
संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक/ वि0अनु0शा0),
उपायुक्त, सहायक आयुक्त, राज्य कर अधिकारी,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय :- **नियम 86A के अन्तर्गत कार्यवाही के संबंध में**।

अस्तित्वहीन फर्मों द्वारा माल अथवा सेवा अथवा दोनों की वास्तविक आपूर्ति के बिना जारी की जाने वाली इनवायसेज के आधार पर उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 86A के अन्तर्गत आई0टी0सी0 के ब्लाक एवं अनब्लाक किये जाने के संबंध में क्रमश: परिपत्र संख्या-1920089 दिनांक-07-02-2020, 2021006 दिनांक-03-07-2020 एवं 2122039 दिनांक-23-11-2021 से विस्तृत प्रक्रियात्मक दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। मुख्यालय के संज्ञान में आया है कि फील्ड में कार्यरत अधिकारियों द्वारा नियम 86A के अन्तर्गत आई0टी0सी0 ब्लाक किये जाने के पश्चात अग्रिम कृत कार्यवाही में समानुरुपण नहीं है। कतिपय मामलों में न्याय निर्णयन की कार्यवाही के पश्चात क्षुब्ध व्यक्ति द्वारा उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे प्रान्तीय अधिनियम कहा गया है) की धारा 107 के अन्तर्गत अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने एवं अपील के लम्बित रहने के बावजूद न्याय निर्णयन अधिकारी द्वारा पुन: आदेश पारित कर दिया जाता है जिसके विरुद्ध क्षुब्ध व्यक्ति द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत की जाती है जिससे विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। अत: पूर्व में जारी उक्त संदर्भित परिपत्रों के अनुरुप फील्ड में कार्यरत अधिकारियों द्वारा नियम 86A के अन्तर्गत न्याय निर्णयन की कार्यवाही के पश्चात अपनायी जाने वाली प्रक्रिया में एकरुपता बनाये रखने के उद्देश्य से निम्न निर्देश दिये जाते हैं-

1. माल अथवा सेवा अथवा दोनों की वास्तविक आपूर्ति प्राप्त किये बिना आई0टी0सी0 का दावा करने वाला व्यक्ति भी यदि जॉच पर अस्तित्वहीन पाया जाता है तब ऐसे व्यक्ति द्वारा जिन व्यक्तियों को बोगस आई0टी0सी0 पॉसऑन की गयी है उसकी सूचना इनफोर्समेन्ट अलर्ट के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाये।
2. न्याय निर्णयन अधिकारी द्वारा प्रान्तीय अधिनियम की धारा 73 अथवा 74 के अन्तर्गत सृजित होने वाली मांग से संबंधित FORM GST DRC 07 जारी किये जाने के पश्चात संबंधित पंजीकृत व्यक्ति के ब्लाक्ड आई0टी0सी0 लेजर को अनब्लाक किया जायेगा एवं

आई0टी0सी0 लेजर में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष मांग को Setoff करते हुए RITC की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। इसके पश्चात भी मांग अवशेष रहने पर नियमानुसार प्रान्तीय अधिनियम की धारा 78/79 के अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

3. न्याय निर्णयन अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध क्षुब्ध व्यक्ति द्वारा प्रान्तीय अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत दाखिल अपील के लम्बित रहने तक की अवधि में न्याय निर्णयन अधिकारी द्वारा लम्बित मामले के संबंध में प्रान्तीय अधिनियम की धारा 161 के अतिरिक्त अन्य कोई आदेश पारित नहीं किया जायेगा।
4. अपील स्तर से क्षुब्ध व्यक्ति की अपील स्वीकार होने पर उसके द्वारा RITC की धनराशि को रिफण्ड किये जाने के संबंध में FORM GST RFD 01 में ऑनलाईन प्रार्थना पत्र संबंधित न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अधिकारी द्वारा नियमानुसार रिफण्ड आदेश FORM GST RFD 06 में जारी करते हुए स्वीकृत रिफण्ड की धनराशि को FORM GST PMT 03 के माध्यम से संबंधित व्यक्ति के आई0टी0सी0 लेजर में उपलब्ध कराया जायेगा।
5. खण्ड में कार्यरत अधिकारियों द्वारा इनफोर्समेन्ट अलर्ट के माध्यम से प्राप्त मामलों में समयान्तर्गत कार्यवाही करते हुए इसकी प्रविष्टि संबंधित माड्यूल में भी अद्यतन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाये।

भवदीय,

11/7/2022

(मिनिस्ती एस.)
आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।